2023/217

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री कान्तिलाल उपाध्याय निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबूरोड

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 51 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जा इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.10.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबूरोड को दिनांक 28.08.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि कार्यालय नगर सुधार न्यास में खुशाल कुमार सुथार पुत्र श्री मूलाराम सुथार निवासी तलेटी (शान्तिवन) (होटल अम्बिका व पदमावती होटल के मध्य) द्वारा निर्माण स्वीकृति हेतु पत्रावली पेश कर रखी है, उस सम्पूर्ण पत्रावली मय आदेशिका सहित की प्रमाणित प्रति एवं उक्त प्रकरण खुशाल कुमार द्वारा माननीय न्यायालय से यथास्थिति के आदेश की प्रति प्रस्तुत की है, उक्त आदेश की प्रति एवं खुशाल कुमार द्वारा बिना स्वीकृति के करवाए गए निर्माण कार्यों को रूकवाने के लिए की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबूरोड को दिनांक 28.08.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि कार्यालय नगर सुधार न्यास में खुशाल कुमार सुथार पुत्र श्री मूलाराम सुथार निवासी तलेटी (शान्तिवन) (होटल अम्बिका व पदमावती होटल के मध्य) द्वारा निर्माण स्वीकृति हेतु पत्रावली पेश कर रखी है, उस सम्पूर्ण पत्रावली मय आदेशिका सहित की प्रमाणित प्रति एवं उक्त प्रकरण खुशाल कुमार द्वारा माननीय न्यायालय से यथास्थिति के आदेश की प्रति प्रस्तुत की है, उक्त आदेश की प्रति एवं खुशाल कुमार द्वारा बिना स्वीकृति के करवाए गए निर्माण कार्यों को रूकवाने के लिए की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबूरोड को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भॅवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner